अध्याय 16

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत (INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANISATIONS & INDIA)

जैसा कि टी. एस. इलियट ने कहा है कि, "मानव अत्यधिक वास्तविकता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हाल की घटनाएं यह बताती हैं कि विश्व बहुत अधिक वैश्विकरण बर्दाश्त नहीं कर सकता।"

इस अध्याय में

- अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली
- ब्रेटन वुड्स विकास
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- विश्व बैंक
- भारत का बी.आई.पी.ए.
- एशियाई विकास बैंक
- ओ.ई.सी.डी.
- विश्व व्यापार संगठन
- नैरोबी वार्ता और भारत
- ब्यूनस आयर्स सम्मेलन एवं भारत
- ब्रिक्स बैंक
- एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक

b.a.6th sem,unit 5th.

* आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, खंड 1,पृष्ठ: 7

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM)

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) बाह्य भुगतान (external payments) संपादित करने वाली एक व्यवस्था है जो नियमों, साधनों (instruments), सुविधाओं (facilities) एवं संगठनों से बनती है। कभी-कभी IMS को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निर्देश या सत्ता[1] भी कहा जाता है। इस प्रणाली को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि मुद्राओं की **विनिमय दर** कैसे तय हो रही है (यथा–नियत मुद्रा व्यवस्था, उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था या फिर प्रबंधित विनिमय व्यवस्था द्वारा) या फिर **विदेशी भंडार** किस रूप में (यथा–स्वर्ण मानक, शुद्ध न्यायिक मानक या फिर स्वर्ण-विनिमय मानक में) संचित होती हैं।

अगर IMS निम्न **दो उद्देश्यों**[2] की पूर्ति निष्पक्ष ढंग से कर रहा है तो उसे अच्छा माना जाता है:

(i) विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का महत्तमीकरण करना, एवं;

(ii) विश्व के राष्ट्रों के बीच व्यापार के लाभ का साम्यिक (equitable) वितरण करना।

IMS का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने तीनों ही कार्यों – सामंजस्य, तरलता तथा विश्वास को किस तरह से प्रबंधित कर पा रहा है:

सामंजस्य (Adjustment)

सामंजस्य से तात्पर्य है राष्ट्रों (सदस्यों) के भुगतान संतुलन (BoP) के संकटों का समाधान। एक IMS अच्छा माना जाता है अगर वह BoP पर आने वाले व्यय तथा राष्ट्रों के लिए सामंजस्य में लगे समय को न्यूनतम रखे।

तरलता (Liquidity)

यह सूचित करता है कि किसी IMS के पास कितना विदेशी विनिमय भंडार है। एक अच्छे IMS के पास विदेशी विनिमय का इतना भंडार अवश्य होना चाहिए कि वह राष्ट्रों के भुगतान संतुलन के संकट को बिना स्फीतिपरक (inflationary) प्रभाव के निपटा जा सके।

विश्वास (Confidence)

इसका तात्पर्य है–विश्व के राष्ट्रों का IMS में प्रदर्शित किया जाने वाला विश्वास, जो इस बात से उत्पन्न होता है जब सदस्य देश यह माने कि IMS अपने सामंजस्य की भूमिका अच्छी तरह निभा रहा है तथा विदेशी विनिमय भंडार का निरपेक्ष एवं सापेक्षिक मूल्य टिकाऊ है। इसके लिए IMS को तत्संबंधी सूचनाओं को पारदर्शी बनाना जरूरी होता है।

ब्रेटन वुड्स विकास (BRETTON WOODS DEVELOPMENT)

जहाँ एक तरफ विश्व के शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना से एक स्थायी विश्व के उभरने की आशा कर रहे थे वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि द्वितीय युद्ध के उपरांत विश्व की वित्तीय व्यवस्था भी एक स्थायी प्रकार की हो। यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रक्रिया के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), युनाइटेड किंगडम (UK) तथा अन्य 42 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की USA के न्यू हैम्पशायर स्थित 'ब्रेटन वुड्स' में (जुलाई 1944) एक संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य था–एक नये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (IMS) को कार्यान्वित करने पर विचार करना। संगोष्ठी में लिए गए निर्णय के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक (WB) की स्थापना की गयी–इन्हें **ब्रेटन वुड्स जुड़वा**[3] (Bretton

1. D. Salvatore, ***International Economics*** (New Jersey: John Wiley & Sons2005), 737–38; Samuelson and Nordhaus, ***Economics*** (New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005) pp. 609–12.
2. D. Salvatore, International Economics, p. 738.
3. For the new international monetary system, basically two plans were presented in the meeting—one by the US delegation led by ***Harry D. White*** (of the US Treasury) and the British delegation led by ***John Meynard Keynes.*** It was the US plan which was ultimately agreed upon.

   J.M. Keynes had proposed a more impartial, practical and over-arching idea via his plan at Bretton Woods. His suggestions basically included three things:

Woods Twins) भी कहा जाता है। दोनों ही के मुख्यालय वॉशिंगटन डी.सी, अमेरिका में स्थित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (INTERNATIONAL MONETARY FUND)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना यद्यपि जुलाई 1944 में हो चुकी थी तथापि इसके अनुच्छेदों (Articles) का प्रवर्तन 27 दिसंबर, 1945 को हुआ। कभी-कभी आईएमएस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली या शासन भी कहा जाता है। इसके मुख्य कार्यों में विनिमय दर, विनियमन, दुनियाभर से सदस्य देशों के लघु अवधि की विदेशी मुद्रा देनदारियों की खरीद। सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार आवंटित करना (एसडीआर), सबसे महत्वपूर्ण भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य देशों की सहायता करना और विनिमय दर स्थिरता और विनिमय क्रम व्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है।

IMF के मुख्य कार्य[4] (Functions) निम्न प्रकार हैं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास एवं विनिमय दरों का स्थरीकरण (stabilisation);

(iii) विनिमय प्रतिबंधों (restrictions) की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान (multi-lateral payments) की व्यवस्था;

(iv) भुगतान संतुलन (Balance of Payment) की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा तथा उनकी अवधि में कमी।

वर्तमान में IMF के सदस्य देशों की संख्या 188 है। इस कोष का संचालन एक 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' द्वारा किया जाता है। जो प्रत्येक सदस्य देश से एक गर्वनर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिल कर बनता है। भारत के लिए बोर्ड में वित्त मंत्री पदेन गवर्नर जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर वैकल्पिक गवर्नर होता है।

आईएमएफ का रोजमर्रा का कामकाज प्रबंध निदेशक देखता है जो कि कार्यकारी निदेशक मंडल का चेयरमैन (वर्तमान में क्रिस्टिन लगार्ड) होता है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व कार्यकारी निदेशक (वर्तमान में अरविंद विरमानी) करते हैं, जो भारतीय उप-महाद्वीप के तीन और देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है।

(i) Proposal to set up an International Clearing Union (ICU), a central bank of all central banks, with its own currency (Keynes named this currency ***'bancor'***)—to mitigate the balance of payment crises of member nations.

This bank was supposed to penalise (***no such provision in the IMF***) the countries holding trade surpluses (with a global tax of one per cent per month) on the ground that such countries were keeping world demand low by under-purchasing the products produced by other countries. The corpus collected via this tax was to be used to maintain an international buffer stock of primary goods (i.e., food articles)—to be used in the periods of food shortages among the member nations. (***In place, under the IMF provisions trade deficit countries are penalised***.)

(ii) For the reconstruction of war-devastated Europe, a ***fund*** was to be set up, on the basis of this plan for Relief and Reconstruction (in place of it the US-sponsored ***Marshall Plan*** took care of the needs of Europe).

(iii) There was a proposal of creating Commodity Buffer Stock to be operated by an International Trade Organization (ITO). This stock of primary goods was to be used to stabilise their prices in the international market.

The operation of this ITO making purchases when the world prices were low and selling when the prices became high. The buffer stock operations, however, were to be helpful to the poor countries, Keynes was primarily interested in stabilising the input prices of the rich countries. (***Though the charter of the ITO was drawn up and other formalities completed, it was never born because of US opposition***.) ***For further readings see*** D. Salvatore, ***International Economics,*** 742–43; B. Dasgupta, ***Globalisation : India's Adjustment Experience*** (New Delhi: Sage, 2005), p. 48.

4. ***Basic Facts About the United Nations*** (New York: United Nations, 2000), pp. 55–137.

भारत का 'कोटा' एवं 'रैंक'
(India's Quota and Rank)

IMF अपने सदस्यों के 'कोटा' (Quota) का प्रत्येक 5 वर्षों में समीक्षा करता है-पिछली समीक्षा दिसंबर 2010 में की गयी। इस समीक्षा के उपरांत भारत का कोटा बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो गया है (पहले 2.44 प्रतिशत था) तथा उसका 'रैंक' आठवाँ हो गया है (ग्यारहवाँ से बढ़कर)। ज्ञात हो कि IMF के कुल 24 अंशभूत (Constituency) हैं तथा भारत के अशंभूत में 3 अन्य देश भी शामिल हैं–भूटान, बंग्लादेश एवं श्रीलंका। निरपेक्ष रूप से भारत का बढ़ा हुआ कोटा अब 13,114.4 मिलियन SDR है (पहले 5,821.5 मिलियन SDR था)। इस प्रकार इसमें लगभग 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 56,000 करोड़ रुपए) की वृद्धि की गयी है, जबकि 25 प्रतिशत हिस्से का भुगतान नकद में किया जाता है (यानी रिजर्व मुद्रा में), शेष 75 प्रतिशत हिस्से का भुगतान प्रतिभूति[5] के रूप में हो सकता है।

एक बार कोई सदस्य देश जब IMF के साथ ईएफएफ (एक्सटेंडेड फंड फेसेलिटी) समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है, तब सदस्य देश कर्ज[6] लेना शुरू कर सकता है। भारत ने इस समझौते पर वित्त वर्ष 1981-82 में हस्ताक्षर किए थे। भारत भुगतान संतुलन की नाजुक स्थिति के कारण आईएमएफ से कर्ज लेता रहा है-एक बार 1981-84 के दौरान (एसडीआर 3.9 अरब) और अगली बार 1991 के दौरान (3.56 अरब)। उल्लेखनीय है कि, आईएमएफ से लिया गया पूरा कर्ज चुका दिया गया है। भारत सितंबर 2002 के बाद से आईएमएफ की वित्तीय लेन-देन योजना (एफटीपी)[7] में हिस्सा लेता है और अब आईएमएफ में अंशदाता है-अभी भारत भुगतान संतुलन की मजबूत स्थिति में है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी सहज स्थिति में है।

अमेरिका/यूरोपीय संघ का वर्तमान वित्तीय संकट: अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की चुनौतियाँ
(Current US/EU Financial Crises: Challenges Regarding International Payments)

अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के हालिया वित्तीय संकट ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की चुनौतियों के सवाल को फिर उठा दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में विश्व सभी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए एक संचित मुद्रा के विचार को फिर उछाल रहा है। जैसे कि, ऐसी ही मुद्रा का मशहूर कीनेशियन विचार (बैंकोर) पुनर्जीवित होने जा रहा हो। बैंकोर एक ऐसी सुपरनेशनल (देशों की सीमा से परे) मुद्रा थी, जिसकी अवधारणा 1940-42 में जॉन मेनार्ड कीनेस और ई.एफ. शूमाकर[8] ने दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इसे शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्तावित मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक बहुपक्षीय विनिमय प्रणाली, जिसे इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनिट कहा जाना था, की एक इकाई के रूप में काम करना था। इस विनिमय प्रणाली को भी स्थापित किया जाना था। बैंकोर को विनिमय प्रणाली के सहारे रहना था और इसके मूल्य को सोने के वजन में अभिव्यक्त किया जाना था। हालांकि ब्रिटेन का प्रस्ताव अमेरिकी हितों के आगे नहीं टिक सका

5. These securities are non-interest bearing note purchase agreements issued by the RBI which can be encashed by the IMF anytime as per its requirement. They do not entail any cash outgo unless the IMF calls upon India to encash a portion of these notes. The 'Reserve' (paid in 'cash') asset portion of the quots is counted as a part of country's 'Reserves'.

6. Such facility from it is available once the member country has signed the agreement with the IMF called as the Extended Fund Facility (EFF). Popularly, this is known as the ***'Conditionalities of the IMF'*** under which India started its Economic Reform Programme in 1991-92 once it borrowed from the IMF in the wake of the BoP crisis of 1990–91.

7. FTP is the mechanism of the IMF through which it finances/repays its operations—member nations contribute money into it from their 'quota resources' on which they get 'interest'.

8. ***E. F. Schumacher,*** *Multilateral Clearing Economica,* New Series, Vol. 10, No. 38 (May, 1943), pp. 150-165.

जिसने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यह स्थापित कर दिया कि डॉलर ही दुनिया की मुख्य मुद्रा है। मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन[9] ने इस बात पर जोर दिया कि कीनेस के सिद्धांत गलत थे, जिन्हें यकीन था, "मुद्रास्फीति बहुत विनाशक है और इसे सिर्फ मौद्रिक नीति के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है और यह भी कि मौद्रिक नीति एक बड़ा औजार है और इसे अल्पकालिक आर्थिक प्रबंधन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"

2008 में वित्तीय संकट के उभार के साथ ही कीनेस का प्रस्ताव पुनर्जीवित हो गया है। मार्च 2009 में, रिफॉर्म *दि इंटरनेशनल मॉनीट्रि सिस्टम,* नाम के भाषण में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर जू शियोचुआन ने कीनेस की बैंकोर विचारधारा को दूरदर्शी कहा और 2007-10 के वित्तीय संकट के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आहरण अधिकारों (एसडीएफ) को वैश्विक संचित मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। उनका तर्क था कि ट्रिफनि डाइलेमा[10] की वजह से कोई एक राष्ट्रीय मुद्रा वैश्विक संचित मुद्रा के लिए उचित नहीं हो सकती यह मुश्किल संचित मुद्रा जारी करने वालों को झेलनी पड़ी थी जब वह एक ही समय अपनी घरेलू मौद्रिक नीति के लक्ष्यों और अन्य देशों की संचित मुद्रा[11] की माँग को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। यही निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली[12] में सुधार पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट और आईएमएफ के हालिया अध्ययन[13] में व्यक्त किए गए हैं।

9. ***M. Friedman.,*** (1968) *The American Economic Review,* Vol. 58, No. 1, pp. 1-17.
10. ***Zhou Xiaochuan,*** 'Reform the International Monetary System', ***BIS Review 2009,*** Bank of International Settlements, Basel, Switzerland, 28 November, 2011.
11. ***Zhou Xiaochuan,*** *Financial Times, 12th Dec. 2011.*
12. Recommendations by the Commission of Experts of the President of the General Assembly on reforms of the international monetary and financial system, UNO, 20th March, 2009.
13. ***Reserve Accumulation and International Monetary Stability,*** *IMF,* Washington DC, 13th April, 2010.

विश्व बैंक (WORLD BANK)

आज विश्व बैंक समूह अपने 5 अंत:संबंधित आर्थिक संस्थानों के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों में कार्यशील है। इसके संस्थानों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है:[14]

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development–IBRD)

IBRD विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है जो वर्ष 1945 से कार्य कर रहा है। इसका मूल उद्देश्य द्वितीय युद्ध में युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं का **पुनर्निर्माण** था। इसके पुनर्निर्माण के पश्चात् इसके द्वारा अन्य सदस्य देशों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। बहुत कम ब्याज दर (सालाना 1.55 प्रतिशत) पर कर्ज देने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास था। प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, दुग्ध विकास, इत्यादि थे। इसने भारत के लिए कर्ज देना 1949 में शुरू कर दिया था।

विश्व बैंक के 2010 में सुधार प्रक्रिया शुरू करने के बाद, भारत को आईबीआरडी में अतिरिक्त शेयर (अभी 56,739 शेयर्स जिनका मूल्य 684.47 करोड डॉलर है) जारी किए गए। इसके साथ ही भारत आईबीआरडी में सातवां सबसे बड़ा शेयरधारक (11वीं पायदान से ऊपर उठकर) बन गया है जिसके वोटिंग अधिकार 2.91 प्रतिशत हो गए हैं, जो पहले 2.77 प्रतिशत थे।[15]

अंतर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी (International Development Agency–IDA)

IDA की स्थापना 1960 में की गई। इसके विश्व बैंक की **'उदार खिड़की'** (Soft Window) भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे 'सस्ता'

14. Based on ***Basic Facts About the United Nations,*** pp. 52–55; Publication Division, ***India 2004*** (New Delhi: Government of India, 2007); Publication Division, ***India 2013*** (New Delhi: Government of India, 2014).
15. Publication Division, ***India 2014*** (New Delhi: Government of India, 2015), p. 322.

नहीं होता। इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देश्य सदस्य देशों में **आधारभूत संरचना/आर्थिक सेवाओं** का विकास है। वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $895 से कम है उन्हें इसकी सुविधा उपलब्ध है। ऋणों का किश्त भुगतान सदस्य देशों द्वारा ग्यारहवें वर्ष प्रारंभ होता हैं। आज IBRD और IDA के ऋणों के बीच के उद्देश्यों का अंतर लगभग समाप्त हो गया है।

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला यह सबसे आकर्षक ऋण है। यही कारण है कि योग्य सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय राजनयिक प्रयास किए जाते हैं ताकि वे इसका अधिक-से-अधिक हिस्सा अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। स्थापना के समय से भारत IDA का **सबसे बड़ा लाभ प्राप्तकर्ता** रहा है। विश्व बैंक से अब तक भारत को कुल 19.81 बिलियन[16] डॉलर (IBRD + IDA) की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation–IFC)

IFC की स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इसे विश्व बैंक की **'निजी भुजा/शाखा'** (Private Arm) भी कहा जाता है। जहाँ IBRD एवं IDA द्वारा सदस्य राष्ट्रों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं वहीं IFC सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठनों/कंपनियों को वाणिज्यिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

यह अपने सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर्ज देता है। वसूली जाने वाली ब्याज दरें व्यावसायिक होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं। आईएफसी द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में कई आकर्षक विशेषताएं हैं। यह निजी निवेशकों के साथ निजी-सार्वजनिक उपक्रमों और परियोजनाओं को कर्ज और सलाह देता है और अपने परामर्श कार्य के जरिए सदस्य देशों की सरकारों के लिए ऐसी स्थितियां बनाने में सहायता करता है जिससे घरेलू और विदेशी निजी बचत और निवेश के प्रवाह में तेजी आए।

यह अपने सदस्य देशों में उत्पादक उद्यमों और कुशल पूंजी बाजार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में ध्यान केंद्रित करता है। यह निवेश में तभी भाग लेता है जब यह विशेष योगदान कर सके, जो बाजार निवेशक विदेशी वित्तीय निवेशक (एफएफआई) के रूप में) की भूमिका की पूरक हो।

यह प्रदर्शित करते हुए कि विकासशील दुनिया में भी निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है, यह वहां निजी निवेश को प्रेरित और गतिशील करने में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाता है। हमने भारत में आईएफसी के निवेश में भारी बढ़ोतरी देखी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी ऐजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency—MIGA)

MIGA की स्थापना वर्ष 1988 में विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। इसके द्वारा विदेशी निवेशकों को सदस्य देशों में निवेश की मात्रा पर एक बीमा उपलब्ध कराया जाता है जो उनके **गैर-वाणिज्यिक जोखिम** (non-commercial risk) का वहन करता है। मुद्रा हस्तांतरण संबद्ध समस्या, नागरिक उपद्रव, स्वामित्वहरण (expropriation) इत्यादि जोखिमों के प्रति यह एक तरह की 'गारंटी' है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य देशों को विदेशी निवेश के अवसरों संबंधी तकनीकी सहायता एवं सूचनाएँ भी उपलब्ध कराता है। भारत इस ऐजेंसी का एक सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र (International Investment Dispute Settlement Centre—ICSID)

1966 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी) एक निवेश विवाद निपटान संस्था है जिसके निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। यह 1966 में देशों और दूसरे देशों के नागरिकों के बीच निवेश संबंधी विवादों के सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ। हालाँकि इसकी मदद लेना स्वैच्छिक है, लेकिन पक्षों के मध्यस्थता के लिए

16. Publication Division, ***India 2013***, p. 415.

सहमत होने के बाद, वे अपनी सहमति एकतरफा वापस नहीं ले सकते। यह निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों और मेजबान कंपनियों, जिनमें कि निवेश किया गया है, के बीच होने वाले निवेश विवादों को सुलझाती है।

भारत इसका सदस्य नहीं है (यही कारण है कि 'एनरॉन' से जुड़े निवेश विवाद को इसके द्वारा नहीं निपटाया गया था)। विशेषज्ञों की राय में इसकी सदस्यता विदेशी निवेशकों को उस देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ इसकी सदस्यता को सदस्य देश की 'संप्रभुत्ता' (sovereignty) के ह्रास का द्योतक भी माना जाता है।

भारत का बी.आई.पी.ए. (BILATERAL INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION AGREEMENT–BIPA)

1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार की विदेशी निवेश योजना को उदार किया गया और निवेशकों के पारस्परिक आधार पर निवेश को संरक्षण और बढ़ावा देने के क्रम में कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौता (बीआईपीए) किया गया। भारत सरकार जुलाई 2012 तक 82 देशों के साथ बीआईपीए पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, इनमें से 72 बीआईपीए लागू भी हो गए हैं और बाकी बीआईपीए लागू होने की प्रक्रिया में हैं।[17] इसके अतिरिक्त, कई अन्य देशों के साथ भी समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है या बातचीत की जा रही है। बीआईपीए का उद्देश्य अपने देश में दूसरे देश के निवेशकों के हितों का संरक्षण और प्रोत्साहन देना है।

इस तरह के समझौते निवेशक को सभी मामलों में व्यवहार के न्यूनतम मानकों का भरोसा देते हुए उनकी सहजता का स्तर बढ़ाते हैं और मेजबान देश के साथ विवादों की न्यायसंगतता प्रदान करते हैं (यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत ऐसा ही काम करने वाली विश्व बैंक ग्रुप की संस्था आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। बीआईपीए भारत का संस्करण है। जहाँ आईसीएसआईडी बहुपक्षीय संस्था है, वहीं बीआईपीए द्विपक्षीय है)।

एशियाई विकास बैंक (ASIAN DEVELOPMENT BANK)

31 संस्थापक सदस्यों (भारत भी उनमें से एक) के साथ 1966 में आरंभ होकर, आज (मार्च 2017 तक) इसके सदस्य बढ़कर 67 हो गए हैं, जिनमें से 48 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से और 19 सदस्य इसके बाहर से हैं। इसका मुख्यालय मनीला, फिलिपींस में अवस्थित हैं।

बैंक का उद्देश्य एशिया और सुदूर पूर्व के क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है और विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक विकास में सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से योगदान करना है। बैंक के छह कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) विशेषतौर पर कम विकसित सदस्य देशों में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में निवेश एवं सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना;

(ii) विकास की नीतियों एवं योजनाओं का समन्वयन (अनुरोध पर); अंतरक्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन; वित्त पोषण, निष्पादन एवं परियाजना प्रस्तावों में तकनीकी सहायता प्रदान करना, तथा;

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों) के साथ सहयोग तथा इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं जरूरी सेवाएं प्रदान करना।

बैंक के पूंजी हिस्से में भारत की हिस्सेदारी 7.190 प्रतिशत है जबकि मताधिकार में 6.050 प्रतिशत हिस्सा है (2016 की एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार)।

भारत ने एशियाई विकास बैंक के सामान्य पूँजी संसाधनों (ओसीआर) से ऋण लेना 1986 में शुरू किया। बैंक से मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन और संचार, उद्योग और सामाजिक ढाँचा क्षेत्र के लिए राशि उधार ली गयी।

17. Government of India, **Ministry of Commerce & Industry**, Government of India, N. Delhi, as on April 5, 2016.

एशियाई विकास बैंक ने भारत को सामान्य पूँजी संसाधनों ओसीआर से जारी ऋणों के अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करायी है। तकनीकी सहायता के अंतर्गत संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन और नीति सुधारों तथा परियोजना तैयारी के लिए सहायता शामिल है।

भारत बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक है। इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओस पीडीआर और ताजिकिस्तान शामिल हैं। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वित्त मंत्री भारत के गवर्नर हैं और सचिव (आर्थिक मामला) इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं।

ओ.ई.सी.डी. (OECD)

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development–OECD), पेरिस, की स्थापना की जड़ें[18] द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशोपरांत के यूरोप में हैं। प्रथम विश्व युद्ध में की गई अपने पूर्वजों की भूलों से ऊपर उठकर वर्तमान यूरोपीय राजनेताओं द्वारा एक-दूसरे के पुनर्निर्माण में सहायक होने का निर्णय लिया।

1947 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) की स्थापना हुई जिसका मूल कार्य था–अमेरिकी वित्त पोषित 'मार्शल प्लान' द्वारा विश्व युद्ध में विध्वंसित यूरोप का पुनर्निर्माण। इसके तत्वावधान मे एक नये और तेजी से विकासमान यूरोप का उदय हुआ। तत्पश्चात् इस संगठन का एक वैश्विक स्वरूप तक उभरा जब यू.एस.ए. और कनाड़ा को 14 दिसम्बर, 1960 को OECD अभिसमय में सदस्यता मिली। अंततः 30 सितंबर, 1961 को OECD की औपचारिक स्थापना हुई (तात्कालिक OEEC इस नये संगठन की जड़ बन गया)।

आने वाले वर्षों में अलग-अलग महादेशों से दूसरे देशों ने इसकी सदस्यता हासिल की। इसकी शुरुआत 1964 में जापान में हुई। वर्तमान में इसके कुल 35 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देश वर्षभर में कई बार आपसी मुद्दों, समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए मिलते रहते हैं तथा यथोचित नीतियों के निर्माण की कोशिश करते हैं। विकास के मामले मे इस संगठन की उपलब्धियां अप्रत्याशित रही हैं। पिछले 5 दशकों में यू.एस. की संपन्नता में तीन गुना वृद्धि आई है (प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर)। अन्य सदस्य देशों ने भी विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

सोवियत ब्लॉक के अधिकतर देशों ने इसकी सदस्यता अर्जित कर ली है। यहाँ तक कि हाल में उभरने वाली विश्व की कुछ अर्थव्यवस्थाओं (चीन, भारत और ब्राजील) द्वारा बिना इस संगठन की सदस्यता लिए इनकी तरह आर्थिक नीतियों में फेरबदल किया गया और काफी सफलता प्राप्त की गई। वर्तमान समय में OECD के 40 देशों का विश्व व्यापार और निवेश में योगदान 80 प्रतिशत से भी अधिक है। यही कारण है कि भारत सहित विश्व के अन्यान्य देश इस संगठन की सदस्यता के लिए इच्छुक हैं।

भारत एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी): भारत को बढ़ी हुई जिम्मेदारी (2007 से) प्राप्त हुई है जो सदस्य बनने से अलग किस्म का है लेकिन इसमें भारत को पूर्ण सदस्यता दिलाने की क्षमता है। इसकी सदस्यता प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और दीर्घकालिक है, क्योंकि इसके साथ परीक्षणों की एक लंबी शृंखला जुड़ी हुई है और यह काफी ठोक-बजाकर देखता है कि नीतिगत मामलों के व्यापक विस्तार के सापेक्ष ओईसीडी के मानकों पर देश में खरा उतरने की योग्यता है या नहीं। बहरहाल, 1998 (जब भारत ने इसकी स्टील समिति की सदस्यता ग्रहण की थी) के बाद से ही ओईसीडी के साथ भारत के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती चली गई। उसके बाद 2007 से भारत ओईसीडी का मुख्य भागीदार है। वर्ष 2017 के आरंभ से भारत 21 ओईसीडी निकायों में सहयोगी या प्रतिभागी के तौर पर शामिल होता रहा है और ओईसीडी के 9 लीगल इंस्ट्रूमेंट समर्थन करता है। यह ओईसीडी के कई महत्वपूर्ण मामलों, कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर राजकोषीय मामलों एवं परमाणु ऊर्जा मामलों तक, में अहम योगदान करने वाले देश के रूप में भारत की मान्यता को जाहिर करता है।

18. Publication Division, ***India 2012*** (New Delhi: Government of India, 2013), p. 418.

विश्व व्यापार संगठन (WORLD TRADE ORGANIZATION–WTO)

वर्ष 1947 में सीमा-शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता (गैट) की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। उरुग्वे दौर की बातचीत का लंबा सिलसिला 1986-94 तक चला, जिसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई। इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से संबद्ध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुँच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार (कृषि समझौता), सेवा व्यापार (सेवा व्यापार के बारे में सामान्य समझौता-जी. ए. टी. एस.) के साथ-साथ बौद्धिक संपदा-अधिकार से संबद्ध व्यापार के बारे में बहुपक्षीय नियम लागू हुए। विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटारा व्यवस्था तंत्र और व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के बारे में भी अलग से सहमति हुई।

विश्व व्यापार संगठन नियम-आधारित, पारदर्शी और सुनिश्चित पहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन नियम विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के बाजारों को भारत के निर्यात को राष्ट्रीय व्यवहार और अत्यधिक वरीयता वाले देश (एम.एफ.एन.) के रूप में भेदभाव रहित व्यवस्था प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि एक बार भारत के उत्पाद विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देश के यहाँ आयात हो गए है तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। एम.एफ.एन. व्यवहार सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य देश यह महसूस करता है कि अन्य सदस्य की व्यापारिक नीतियों के कारण उसे निश्चित लाभ नहीं मिल रहा है तो वह विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटारा तंत्र के तहत मामला दायर कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों में आयात के प्रावधान भी हैं, जिनके सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्या और आयात में तेजी से वृद्धि करने जैसी आयात स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार से निपटने के लिए डंपिंग-विरोधी समझौते और सब्सिडी तथा समतुल्य उपाय समझौता के तहत डंपिंग-विरोधी या समतुल्य कर लगाने का प्रावधान है।

सदस्यता: डब्ल्यूटीओ की वर्तमान सदस्यता[19] 164 है। इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान (मार्च 2016) था, जिसे ग्यारह वर्षों की वार्ता प्रक्रिया के उपरांत सदस्यता मिली। इसके सदस्यों के अलावा वर्तमान में 22 पर्यवेक्षक सरकारें भी हैं जिनमें अफगानिस्तान, होली सी (वेटिकन), ईरान, इराक, लीबिया, उज्बेकिस्तान, आदि हैं। डब्ल्यूटीओ के निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षक बनने के पांच साल के अंदर पर्यवेक्षकों को (होली सी के अलावा) शामिल होने के लिए वार्ता करना शुरू करना होगा।

मंत्री स्तरीय सम्मेलन: मंत्रिस्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ की निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई है जिसे हर दो साल में कम-से-कम एक बार मिलना होता है। ये सम्मेलन सभी सदस्यों को साथ लाते हैं जो देश हैं या अलग सीमाओं वाले क्षेत्र हैं। इन सम्मेलनों के दौरान हर तरह के मामालों से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। अब तक ऐसे 11 सम्मेलन हो चुके हैं-11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) में सम्पन्न (दिसंबर 19-13, 2017) हुआ।

पहले के सम्मेलन: नैरोबी (15-19 दिसंबर, 2015); बाली (3-6 दिसंबर 2013); जिनीवा (15-17 दिसंबर, 2011); जिनीवा (30 नवंबर-2 दिसंबर, 2009); हांगकांग (13-18 दिसंबर, 2005); कैनकुन (10-14 सितंबर, 2003); दोहा (9-13 नवंबर, 2001); सिएटल (नवंबर 30-दिसंबर 3, 1999); जिनेवा (18-20 मई, 1998) और सिंगापुर (9-13 दिसंबर, 1996)।

नैरोबी वार्ता और भारत (NAIROBI NEGOTIATIONS & INDIA)

डब्ल्यूटीओ ने अपना 10वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नैरोबी, केन्या में 15-19 दिसंबर, 2015 के बीच किया था। ये ऐसी पहली बैठक थी, जिसकी मेजबानी किसी अफ्रीकी

19. As per the **WTO** website, March 2017.

देश ने की थी। इस सम्मेलन के निष्कर्षों, जिन्हें नैरोबी पैकेज कहा जाता है, को नीचे दिया गया है:[20]

(i) नैरोबी घोषणा-पत्र में भविष्य की वार्ताओं के लिए दोहा डेवलेपमेंट ऐजेंडा (डीडीए) को आधार बनाने की पुनर्पुष्टि करने के औचित्य पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों के विचारों में अंतर नजर आए। यह इसके बावजूद हुआ कि बहुत सारे अन्य विकासशील देशों, जैसे कि जी-33, एलडीसी और अफ्रीकी समूह के साथ भारत भी चाहता था कि दोहा दौर के फैसलों की पुनर्पुष्टि की जाए। हालांकि इन मतभेदों को दर्शाते हुए मंत्री स्तरीय घोषणा-पत्र में यह भी दर्ज किया गया कि 'दोहा के बचे हुए मुद्दों पर वार्ता आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों ने दृढ़ निश्चय किया है।' इसमें कहा गया कि डब्ल्यूटीओ के काम में विकास को केंद्र में रखा जाएगा। इसमें यह भी फिर कहा गया कि विशेष और अलग बर्ताव के प्रावधान आधारभूत बने रहेंगे।

(ii) चूंकि दोहा घोषणा-पत्र के भविष्य पर संशय पैदा हो गया था इसलिए भारत ने कोशिश की और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सरकारी भंडारण के मंत्री स्तरीय फैसले की पुनर्पुष्टि करने में सफल हो गया जो बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन और आम सभा के निर्णयों के अनुरूप है। यह निर्णय सदस्यों को इस मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

(iii) विकासशील देशों का एक बड़ा समूह लंबे समय से कृषि उत्पादों के लिए एसएसएम (विशेष सुरक्षा प्रणाली) की मांग कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ के भविष्य की वार्ताओं की कार्यसूची में शामिल रहे। भारत ने एक मंत्री स्तरीय निर्णय करवाया जिसमें यह माना गया है कि विकासशील देशों के पास यह अधिकार होगा कि निर्णय में उल्लिखित किए गए एसएसएम का सहारा ले सकते हैं। सदस्य कृषि पर गठित समितियों के विशेष सत्रों में इसके लिए एक प्रणाली विकसित करने पर चर्चा करते रहेंगे।

(iv) इस पर भी सहमति बनी कि कृषि निर्यात आर्थिक सहायता को खत्म किया जाएगा जो विकसित देशों के लिए विशेष और अलग तरह के व्यवहार जैसे कि कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन और मार्केटिंग पर आर्थिक सहायता, को बचाए रखने के लिए है। विकसित देशों ने कुछ कृषि उत्पादों को छोड़कर, निर्यात पर आर्थिक सहायता को तुरंत हटाने का फैसला किया है और विकासशील देश ऐसा 2018 तक करेंगे।

(v) विकासशील देश 2023 के अंत तक कृषि निर्यात के लिए मार्केटिंग और परिवहन आर्थिक सहायता देने के लचीलेपन बनाए रख सकते हैं और एलडीसी और शुद्ध खाद्य-निर्यात करने वाले विकासशील देशों को ऐसी निर्यात आर्थिक सहायता में कटौती करने के लिए और समय मिलेगा। मंत्री स्तरीय निर्णय में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो अन्य निर्यात नीतियों को आर्थिक सहायता के रूप में इस्तेमाल किए जाने से रोकती हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है:

(a) कृषि निर्यातकों को वित्तीय सहायता के फायदों को सीमित किए जाने की शर्तें;

(b) सरकारी उपक्रमों के कृषि व्यापार में शामिल होने को लेकर नियम, और;

(c) खाद्य सहायता घरेलू उत्पादन को नुकसान न पहुंचाएं इसे सुनिश्चित करने की व्यवस्था।

20. Ministry of Finance, **Economic Survey 2015–16** (New Delhi: Government of India, 2016), Vol. 2, pp. 73–75.

सहमति बनी रही (पहले का निर्णय) ताकि 12वें सम्मेलन में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

- ई-कॉमर्स की वर्तमान कार्य योजना जारी रहेगी ऐसी सहमति बनी रही (पहले का निर्णय)।
- वार्ता से जुड़े नये मुद्दों, यथा-निवेश सरलीकरण (facilitation), लघु एवं मझोले उपक्रमों, लिंग एवं व्यापार, इत्यादि पर इस सम्मेलन में कोई सहमति नहीं बन पायी।

पूरी वार्ता प्रक्रिया के दौरान **भारत** अपने निर्णय पर मजबूती से टिका रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे-संगठन के मौलिक सिद्धांतों का पालन, बहुपक्षीय व्यवस्था, कानून-आधारित सहमतिपूर्वक निर्णय लेने की प्रक्रिया, स्वतंत्र अपीलीय एवं विवाद निपटारा व्यवस्था, दोहा विकास ऐजेंडा (DDA) पर कार्य तथा विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदीकृत प्रावधानों का पालन। फिलहाल, भारत समान सोच रखने वाले सदस्यों के साथ लघु-मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों (mini-Ministerial Conferences) को प्रक्रिया पर अमल करते हुए उन मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश में संलग्न है जिनके कारण यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गया।

ब्रिक्स बैंक (BRICS BANK)

वैश्वीकरण के साथ ही विश्व की क्षेत्रीय ताकतें अपनी शक्ति को कई तरह के गठबंधनों के जरिए जता रही हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स देश) के राष्ट्राध्यक्षों की फोर्टालेजा घोषणा में (जुलाई के अंत में) ऐसी ही एक कोशिश थी-ब्रिक्स बैंक की स्थापना। यह है, नया विकास बैंक (एनडीबी)। इस बैंक की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

(i) बैंक की शुरुआती अंश पूँजी 50 अरब डॉलर होगी, जिसमें सभी पाँचों देशों का समान अंश होगा।

(ii) इसके पूँजीगत आधार का इस्तेमाल शुरुआत में ब्रिक्स देशों में आधारभूत ढाँचे और 'दीर्घकालिक विकास' परियोजनाओं को पैसा देने के लिए किया जाएगा।

(iii) समय बीतने के साथ अन्य गरीब और मध्य आय वाले देश भी इससे पैसा पाने योग्य बन सकते हैं।

(iv) भुगतान समस्याओं के समय संतुलन बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की तरलता की रक्षा के लिए 100 अरब डॉलर का एक आकस्मिक संचित प्रावधान (सीआरए) भी तैयार किया जाएगा।

(v) सीआरए की 41 फीसदी राशि चीन और 18-18 फीसदी ब्राजील, भारत और रूस देंगे और पांच फीसदी दक्षिण अफ्रीका।

(vi) इस घोषणा के अनुसार सीआरए 'भुगतान दबाव की वास्तविक या संभावित स्थिति में अल्पकालिक संतुलन बनाने के लिए मुद्रा के विनिमय की व्यवस्था का आधार है।'

फोर्टालेजा घोषणा का महत्व एनडीबी की स्थापना से भी ज्यादा इसलिए है, क्योंकि इसने प्रस्तावित बैंक के लिए 'एक-देश एक-वोट' के नुस्खे को अपनाया। दि ब्रेटन वुड्स (विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के ढांचे निष्पक्ष नहीं हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार एनडीबी के जन्म की दो वजहें रहीं:

(a) ब्रिक्स देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं और व्यापार के संदर्भ में उभरती बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों (ईएमडीसी) से अपने सहयोग को मजबूत किया है और वे ऐसी शक्ति हैं जिसे विश्व अर्थव्यवस्था में पहचाना जाने लगा है।

(b) ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के प्रति इनकी निराशा पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही थी।

फोर्टालेजा घोषणा के दो मुख्य बयान स्थिति को और स्पष्ट कर देते हैं:

(i) हमारा सामना विश्व के विभिन्न संवेदनशील स्थानों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता और अपारंपरिक रूप से उभरते खतरों से है। दूसरी

तरफ विपरीत शक्ति समीकरणों के साथ बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक ढाँचे तेजी से इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वे औचित्य और प्रभाव खो रहे हैं। इसके साथ ही प्राय: बहुपक्षवाद की कीमत पर भी अस्थाई और संक्रमणकालीन प्रावधान बढ़ते जा रहे हैं।

(ii) हमारा मानना है कि वर्तमान स्थिति में सुधार और बदलाव कर निष्पक्ष और ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी प्रशासन, ज्यादा समावेशी वैश्विक विकास करने में सक्षम और एक स्थाई, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व कायम करने के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण शक्ति है।

ब्रिक्स बैंक की स्थापना ऐसे समय में हुई है जब किसी-न-किसी वजह से ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में हुए सुधार फलदायी साबित नहीं हो पाए और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में ब्रिक्स देशों को ज्यादा जगह देने को तैयार नहीं हो पाए हैं।

ब्रिक्स प्रायोजित एनडीबी ब्रेटन वुड्स के जुड़वां भाइयों का उपयुक्त विकल्प बन पाएगा या नहीं यह कई चीजों पर निर्भर करता है। अन्य बातों के अलावा इसके मुख्य कारकों में से एक इसकी क्षमता होगी:

(i) विवाद के निपटारे की व्यवस्था तैयार करने की,

(ii) साख के आकलन की एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने की,

(iii) एक प्रभावी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना करने की।

ब्रिक्स प्रायोजित विकास बैंक अकेला और अनोखा प्रयास नहीं है। ब्रेटन-वुड्स जुड़वां के प्रभाव को कम करने के लिए पहले भी ऐसी कई कोशिशें हुई हैं। 1960 में लैटिन अमेरिका का विकास बैंक (एंडियन देशों द्वारा तैयार), एशियाई मौद्रिक संकट की स्थिति में द्विपक्षीय मौद्रिक विनिमय समझौतों के लिए एक नेटवर्क तैयार करने के इरादे से 2000 की शुरुआत में चयांग माई इनिशिएटिव (10 आसियान देशों के साथ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल) की स्थापना और लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा 2009 में बैंक ऑफ साऊथ बनाया जाना भी अमेरिकी प्रभुत्व वाले आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रति बढ़ते असंतोष का परिणाम था।

एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक (ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK)

एआईआईबी (आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) का प्रस्ताव पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2013 को दिया था। एक साल बाद 2014 में बीजिंग में इसकी आधिकारिक लॉचिंग के मौके पर 21 आसियान देशों समेत चीन ने भी संस्थापक सदस्यों के रूप में हस्ताक्षर किए। इस समय 21 और देशों ने, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं, इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। एक मजेदार निवेदक ताइवान भी है जो एक अप्रैल 2015 की समय सीमा से ठीक पहले इसमें शामिल हुआ है–हालांकि इसकी सदस्यता से जुड़े मुद्दे इस समझौते को उलझा सकते हैं। रूस ने भी अंतिम समय में ही आवेदन किया। चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार 42 में से सिर्फ 30 निवेदन ही स्वीकार किए गए।

एआईआईबी का लक्ष्य एक बहुपक्षीय संस्था के रूप में एशिया क्षेत्र में आधारभूत ढाँचा परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाना है। इसकी योजना उसी तरह काम करने की है जिस तरह बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), जैसे कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) काम करते हैं। और यही बहस के केंद्र में भी है कि क्या एआईआईबी विकास में सहायक संस्थान के बजाय अंशदाता के रूप में देशों वाला एक व्यावसायिक बैंक बनना चाहता है जो मौजूदा संस्थानों का पूरक होगा या उनका प्रतियोगी। एआईआईबी का आधार एक अरब अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूँजी होगी जिसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है।

विशेषज्ञों ने इसे आईएमएफ, विश्व बैंक और एडीबी का प्रतिद्वंद्वी करार दिया है, जिन पर अमेरिका[21] जैसे विकसित देशों का प्रभुत्व माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने एआईआईबी के शुरू होने को वैश्विक आर्थिक प्रशासन की चिंताओं और 'दीर्घकालिक विकास के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ना'[22] कहा है।

जहाँ तक विशेषज्ञों और विश्लेषकों का सवाल है तो उन्हें चीन के इस तरह का प्रयास करने के पीछे कई वजहें लग रही हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:

(i) चीनी सरकार, सुधारों और प्रशासन की सुस्त रफ्तार से हताश हो गई थी। यह विश्व की स्थापित संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ, विश्व बैंक में ज्यादा भागीदारी चाहती है–इसके अनुसार जिन पर अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी हित हावी हैं।

(ii) एडीबी, मनीला में स्थित क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसे एशिया में आर्थिक विकास के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका अनुमान था कि 2010 से 2020 के बीच एशियाई देशों को आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 80 खरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इनमें से 25 खरब डॉलर सड़कों और रेलमार्गों के लिए, 41 खरब ऊर्जा संयंत्रों और वितरण के लिए, 11 खरब दूरसंचार के लिए और 4 खरब पानी और स्वच्छता (सैनिटेशन) में निवेश की आवश्यकता होगी।[23]

(iii) ऑक्सफोर्ड के अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2025 तक विश्व के आधारभूत ढाँचे पर निवेश का 60 फीसदी इस क्षेत्र में होगा, जिसमें से अकेले चीन का हिस्सा अगले दशक में 22 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी हो जाएगा।

(iv) हाल के दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल करने के बावजूद चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे बहुत-से देश गरीबी से ग्रस्त हैं। यहाँ जरूरत की आधुनिक सुविधाओं जैसे कि स्वच्छता, भरोसेमंद ऊर्जा संयंत्र और समुचित परिवहन और संचार नेटवर्क की जबरदस्त किल्लत है।

(v) माना जाता है कि नया बैंक चीनी पूँजी से इन परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करवाने और चीन को अपनी बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अनुरूप क्षेत्र के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निबाहने देने में सहायता करेगा।

जापान और अमेरिका का रुख: अमेरिका, जापान और कनाडा दृढ़ता के साथ इससे दूरी बनाए हुए हैं हालांकि उनके कई नजदीकी सहयोगी हाल ही में स्थान परिवर्तित कर चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि एआईआईबी मौजूदा संस्थानों जैसे कि विश्व बैंक और एडीबी का ही हिस्सा बाँट रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसने प्रशासन के स्तर और समुचित पारदर्शिता को लेकर संदेह जताया है। हालांकि ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने रुख को नरम कर रहा है। जापान का कहना है कि यह समय सीमा से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन उसने इसमें शामिल होने की संभावना को खारिज भी नहीं किया है। हालांकि अमेरिका खुलकर इस कदम का विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि अमेरिका को इसका विरोध करने के बजाय इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन एशिया में मूलभूत पूँजी की कमी के हल को बढ़ावा दे रहा है इसका समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है।[24]

21. The Guardian, 'Support for China-led development bank grows despite US opposition', UK edition, 13 March, 2015.

22. United Nations Financing for Development Office, 'Global Economic Governance', New York, 20 March, 2015.

23. ***The Economist***, *'An Asian Infrastructure Bank: Only Connect'*, 4 October, 2013; Biswa N. Bhattacharyay, ***Estimating Demand for Infrastructure in Energy, Transport, Telecommunications, Water and Sanitation in Asia and the Pacific: 2010-2020***, Asian Development Bank Institute, 9 September, 2010.

24. ***The Guardian***, October 27, 2014.

एआईआईबी का आकार: एआईआईबी सबसे बड़े विकास बैंकों में से एक होगा लेकिन फिर भी यूरोपीय विकास बैंक, विश्व बैंक और एडीबी से ठीकठाक छोटा होगा। यह ब्रिक्स विकास बैंक के आकार के साथ ही शुरू होगा जिसकी स्थापना 2014 में चीन के प्रयासों से ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने की थी।

विश्व बैंक और यूरोपीय विकास बैंक के लैंडिंग कैपिटल रेशो के आधार पर एआईआईबी आधारभूत ढांचे पर ऋण को अपनी अंश पूँजी के 100 फीसदी से बढ़ाकर 175 फीसदी तक कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह 175 अरब अमेरिकी डॉलर तक का ऋण दे सकता है। पब्लिक-प्राइवेट साझीदारी और बढ़े हुए अंशदान के साथ यह भविष्य में परियोजनाओं के लिए ज्यादा बड़ी राशि दे सकता है।

चीन को बढ़त: इस बैंक से चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़त मिलने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजहें हैं:

(i) ए.आई.आई.बी. के जरिए चीन अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार को सही जगह लगा सकेगा जिनसे अभी अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड्स से नहीं के बराबर कमाई हो रही है। चीन का मानना है कि आधारभूत ढाँचे कि लिए व्यावसायिक रूप से वित्त देना इसे एडीबी जैसे बैंकों से अलग करता है, जिसका मुख्य जोर गरीबी हटाने पर है।

(ii) ए.आई.आई.बी. चीन के अति महत्वाकांक्षी 'सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट' की नीति के रणनीतिक लाभ के लिए भी मददगार है।

(iii) चीन के दीर्घकालिक वित्त के जरिए अल्प विकसित देशों को तकनीक, विकास के अनुभव के स्थानांतरण और औद्योगीकरण में सहायता कर चीन न सिर्फ अपना हाथ ऊपर कर लेगा बल्कि 'बेल्ट एंड रोड' से लगते सभी देशों में समृद्धि बढ़ाएगा बल्कि विदेशों में अपनी असरदार भूमिका की विविधता भी बढ़ाएगा।

(iv) इससे चीन एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा जो अमेरिका की नियमों के आधार पर शक्ति के संस्थानीकरण की स्थापित रणनीति को चुनौती देने को बेताब होगा। ए.आई.आई.बी. का मामला बताता है कि चीन अब इस व्यवस्था की अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहता है, क्योंकि एशिया में प्रभुत्व लड़ाई अब नियमों और संस्थानों के जरिए लड़ी जा रही है।

(v) कथित 'नियम आधारित व्यवस्था' द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार गई थी जैसे कि ब्रेटन वुड्स संधि जिसने विश्व बैंक और आई.एम.एफ. जैसे संस्थानों पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित कर दिया और जहाँ चीन की भूमिका बहुत संक्षिप्त है।

ऐतिहासिक रूप से बहुपक्षीय बैंकों के सदस्य को फायदे हासिल होते हैं जैसे कि ऋण के लिए लगी पंक्ति में आगे पहुँच जाना और परियोजनाओं के लिए प्रतियोगिता में अपने देश की फर्म की सफलता की गुंजाइश काफी ज्यादा होना। सीधी-सी बात है, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अरबों डॉलर का काम आसानी से चीनी कंपनियों को मिल जाएगा। आखिरी टिप्पणी करने से पहले बेहतर होगा कि नए बैंक के भविष्य के घटनाक्रम पर नजर रखी जाए।